16-10-2018 पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभयपक्षगण उप०। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज निर्णीत किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

प्रकरण संख्या :— 119/2025
उनवान :— बीरम बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :—16.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी:—	पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—	119/2025
दायर दिनाँक :—	15.04.2025
निर्णय दिनाँक:—	16.10.2025
उनवान :—	बीरम

बनाम

सरकार

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :— 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री कैलाश चंद वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थी

—: निर्णय :—

पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं सराकर पैरोकार उपस्थित। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम "हरकचंद पिता भंवरया" दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी के पिता का नाम "चंदालाल पिता भंवरलाल" है। वर्तमान में प्रार्थी के पिता का देहांत हो चुका है।

प्रार्थना—पत्र के कथनों का समर्थन करते हुए अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना की उक्त नाम को दुरस्त करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में " हरकचंद पिता भंवरया " के स्थान पर "चंदालाल पिता भंवरलाल" दर्ज किया जाए। प्रार्थी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता संख्या 50 कुल किता 11 एवं नकल जमाबंदी खाता संख्या नया 56 पुराना 58 किता 01 ग्राम झीकनी पटवार हल्का टोडरीनीरां तह0 मनोहरथाना सम्वत् 2074—2077 की प्रति प्रस्तुत की है।

पैरोकार सरकार ने वादी के प्रार्थना पत्र से असहमति जताते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि हरकचंद पिता भंवरया एवं चंदालाल पिता भंवरलाल एक ही व्यक्ति है। अतः उन्होने प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

हमने प्रार्थना—पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया।

प्रकरण संख्या :– 119/2025
उनवान :– बीरम बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–16.10.2025

प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि चंदालाल पिता भंवरलाल ही हरकचंद पिता भंवरया है, जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा चंदालाल पिता भंवरलाल को गलत तरीके से जमाबंदी में हरकचंद पिता भंवरया दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, मनोहरथाना